

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

पत्रांक -2223 / न0पा0परि0भ0 / 2026

दिनांक 21-01- 2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त मद" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 05.02.2026 से दिनांक 25.02.2026 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क (कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है, में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाते से अलग-अलग जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 25.02.2026 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 26.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारणवश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
राज्य वित्त मद-					
1.	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 हरियांव मे ज्ञानपुर रोड पर काका कार्पेट के सामने से सी0सी0 रोड तक अवशेष भाग में अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	17.74	1.77	2093	03 माह
2.	वार्ड नं0-01 कुशियरा में डॉ0 विजय कुमार सरोज के मकान से महेश गौड़ के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	22.62	2.26	2669	03 माह
3.	वार्ड नं0-05 अहमदगंज मो0 अहमदपुर फुलवरियां में प्रा0वि0 से मनोज चौहान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	15.43	1.54	1821	03 माह
4.	वार्ड नं0-06 डुडवा कुकरौठी मो0 यादव बस्ती में राधेश्याम यादव के मकान से फुन्नन यादव के मकान होते हुए बबलू यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.60	1.26	1487	03 माह
5.	वार्ड नं0-07 दरोपुर में नई बाजार मुख्य मार्ग पर लालमनी गौतम के मकान से रिकू सोनकर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.83	1.38	1632	03 माह
6.	वार्ड नं0-08 रामरायपुर मो0 अभयनपुर फुलवरियां में दल्लाराम प्रजापति के मकान से पखरू प्रजापति के मकान से मूलचन्द सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	13.10	1.31	1546	03 माह
7.	वार्ड नं0-13 बाजार सरदार खां मो0 पूरेश्याम में संतोष गौतम के मकान से मोतीलाल गौतम के मकान होते हुए मुन्ना मौर्या के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	15.33	1.53	1809	03 माह
8.	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में चौक से इद्रीस अहमद के मकान होते हुए टावर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	33.00	3.30	3894	03 माह

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यवधि
9.	वार्ड नं०-18 बाजार सलावत खां मो० काशीपुर में काशीपुर पम्प हाउस से मिठाई लाल चक्की वाले के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	23.95	2.40	2826	03 माह
10.	वार्ड नं० 19 कटरा बाजार में बसन्त लाल गुप्ता के मकान से अतुल गुप्ता के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.33	1.43	1691	03 माह
11.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में नवाद के मकान से झांगूर व इम्तियाज के मकान होते हुए बंगाली व पप्पू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	15.97	1.60	1884	03 माह
12.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में परवेज के मकान से गुलाम के मकान होते हुए इमरान के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.22	1.22	1442	03 माह
13.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० सिविल लाइन में डॉ० सम्से आलम के मकान से कब्रिस्तान होते हुए जब्बार के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	26.32	2.63	3106	03 माह
14.	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में बाबूलाल के मकान से बसडूददीन के मकान व हकीमूददीन के पाही तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	29.45	2.94	3475	03 माह
15.	वार्ड नं०-28 जमुन्द में शिबू सिद्दीकी के मकान से अकबरी मस्जिद व इमरान खान के मकान होते हुए अनवर जोगी के मकान तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	13.33	1.33	1573	03 माह

निविदा हेतु शर्तें:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है-

Beneficiary Name	Nagar Palika Parisha Bhadohi
Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi
Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088

- निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी०एस०टी० पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व० प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कार्यों की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।

10. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलविड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
11. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं०-14/2024/692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - (क) 100/- ₹0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
 - (ख) 10/- ₹0 के एकल गैर- न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
 - (ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
 - (ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं०, सम्पर्क पता उसके लेंटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जाँच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
26. कराये गये कार्य के पहले फिर वीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही